



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १२, अंक २५]

गुरुवार, जून २५, २०२६/आषाढ ४, शके १९४८

[पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ४५

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक २५ जून, २०२६ ई. को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशित किया जाता है :-

L. A. BILL No. XXXVIII OF 2026.*A BILL*

further to amend the Mumbai Municipal Corporation Act, the Maharashtra Municipal Corporation Act and Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ३८ सन् २०२६।

मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था;

(१)

सन् २०२६ का
महा. अध्या. क्र.
९।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत** तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र नगर निगम विधियों (संशोधन) अध्यादेश, २०२६, १७ जून २०२६ को प्रख्यापित हुआ था।

सन् १८८८
का ३।
सन् १९४९
का ५९।
सन् १९६५
का महा.
४०।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है ; अतः, भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :-

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र नगर निगम विधि (संशोधन) अधिनियम, २०२६ कहलाए।

(२) यह १७ जून २०२६ को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।।

अध्याय दो

मुंबई नगर निगम अधिनियम में संशोधन।

सन् १८८८ का ३
की धारा ५ख में
संशोधन।

२. मुंबई नगर निगम अधिनियम (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, “मुंबई नगर निगम अधिनियम” कहा गया है) की धारा ५ ख के द्वितीय परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

सन् १८८८
का ३।

सन् २०२६ का
महा. अध्या. क्र. ९।

“परंतु यह और भी कि, यदि ऐसा व्यक्ति १५ जनवरी २०२६ को या के पश्चात् परंतु, महाराष्ट्र नगर निगम विधियों (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ के प्रारम्भण के दिनांक पर या के पूर्व हुए निर्वाचनों में निर्वाचित हुआ है, और जिस दिनांक पर उसका निर्वाचन घोषित हुआ है उस दिनांक से बारह महीने की अवधि के भीतर वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल होता है, तो उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह पार्षद होने के लिए अनर्ह हो जाएगा।”।

सन् १८८८ का
३ की धारा ३७ में
संशोधन।

३. मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा ३७ की, उप-धारा (२क) में, द्वितीय परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु और यह भी कि, ऐसा व्यक्ति १५ जनवरी २०२६ को या के पश्चात् परंतु, महाराष्ट्र नगर निगम विधियों (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ के प्रारम्भण के दिनांक पर या के पूर्व हुए निर्वाचनों में निर्वाचित हुआ है और जिस दिनांक पर उसका निर्वाचन घोषित हुआ है उस दिनांक से बारह महीने की अवधि के भीतर वैधता मान्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल होता है, तो उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह महापौर बनने के लिए अनर्ह हो जाएगा।”।

सन्
२०२६
का महा.
९।

अध्याय तीन

महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में संशोधन

सन् १९४९ का
५९ की धारा ५ख
में संशोधन।

४. महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, “महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम” कहा गया है) की, धारा ५ख के द्वितीय परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

सन् १९४९
का ५९।

“परंतु यह और भी कि, यदि ऐसा व्यक्ति १५ जनवरी २०२६ को, या के पश्चात्, परंतु महाराष्ट्र नगर निगम विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ के प्रारम्भण के दिनांक पर या के पूर्व हुए निर्वाचनों में निर्वाचित हुआ है और वह जिस दिनांक पर निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से बारह महीने की अवधि के भीतर वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल होता है तो उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह पार्षद होने के लिए अनर्ह हो जाएगा।”।

सन् २०२६
का महा.
अध्या. क्र.
९।

५. महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा १९ की, उप-धारा (१) के, द्वितीय परंतुक के पश्चात्, सन् १९४९ का निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :- सन् १९४९ का ५९ की धारा १९ में संशोधन।

सन् २०२६
का महा.
९।

“परंतु यह और भी कि, ऐसा व्यक्ति १५ जनवरी २०२६ को या के पश्चात्, परंतु महाराष्ट्र नगर निगम विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ के प्रारम्भण के दिनांक पर या के पूर्व आयोजित हुए निर्वाचनों में निर्वाचित हुआ है, और वह जिस दिनांक पर निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से बारह महीने की अवधि के भीतर वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल होता है तो उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह महापौर होने के लिए अनर्ह हो जाएगा।”।

अध्याय चार

महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में संशोधन।

सन्
१९६५ का
महा. ४०।

६. महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, “महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियम” कहा गया है) की, धारा ९क के, द्वितीय परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :- सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ९क में संशोधन।

सन्
२०२६ का
महा. ९।

“परंतु यह और भी कि, ऐसा व्यक्ति २ दिसम्बर २०२५ को, या के पश्चात्, परंतु महाराष्ट्र नगर निगम विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ के प्रारम्भण के दिनांक पर या के पूर्व हुए निर्वाचनों में निर्वाचित हुआ है, और वह जिस दिनांक पर निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से बारह महीने की अवधि के भीतर वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल होता है तो उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह पार्षद होने के लिए अनर्ह हो जाएगा।”।

सन्
२०२६ का
महा. ९।

७. महाराष्ट्र नगर परिषद अधिनियम की धारा ५१-१ख के, द्वितीय परंतुक के पश्चात्, निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :- सन् १९६५ का महा. ४० की धारा ५१-१ख में संशोधन।

“परंतु यह और भी कि, ऐसा व्यक्ति २ दिसंबर २०२५ को, या के पश्चात्, परंतु, महाराष्ट्र नगर निगम विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ के प्रारम्भण के दिनांक पर या के पूर्व हुए निर्वाचनों में निर्वाचित हुआ है और वह जिस दिनांक पर निर्वाचित घोषित हुआ है उस दिनांक से बारह महीने की अवधि के भीतर वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में असफल होता है तो उसका निर्वाचन भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त हुआ समझा जाएगा और वह अध्यक्ष होने के लिए अनर्ह हो जाएगा।”।

सन् २०२६
का महा.
अध्या क्र.
९।

८. (१) महाराष्ट्र नगर निगम विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०२६, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०२६ का महा. अध्या क्र. ९ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

सन् १८८८
का ३।
सन् १९४९
का ५९।
सन् १९६५
का ४०।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत तथा औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, सुसंगत अधिनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३) की धारा ५ख और ३७, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) की धारा ५ख और १९ तथा महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ (सन् १९६५ का महा. ४०) की, धारा ९क और ५१-१ख यह उपबंध करती है कि, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, या, यथास्थिति, नागरिकों के पिछड़े वर्गों के संबंधित व्यक्तियों के लिए पार्षद, महापौर या अध्यक्ष के लिए आरक्षित सीट से निर्वाचन लड़ने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति नामनिर्देशन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र और संवीक्षा समिति द्वारा जारी वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

२. तथापि, उम्मीदवारों को उपरोक्त धारा के उपबंधों के अधीन आरक्षित सीट के निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन पत्र के साथ, वैधता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए संवीक्षा समिति को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन की असली प्रतिलिपि या उसका कोई अन्य सबूत ; और वे अपने निर्वाचन के दिनांक से छह महीने की अवधि के भीतर संवीक्षा समिति द्वारा जारी वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे, यह शपथपत्र जमा करने की अनुमति है। विनिर्दिष्ट छह महीने की अवधि के भीतर ऐसा वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहने से ऐसे व्यक्तियों के निर्वाचन की समाप्ति भूतलक्षी प्रभाव से होगी और वह पार्षद, महापौर या, यथास्थिति, अध्यक्ष का पद धारण करने के लिए अनर्ह हो जायेंगे।

३. चूंकि दिसम्बर २०२५ और जनवरी २०२६ के महीनों में बड़ी संख्या में नगर पालिका के निर्वाचन लिए जाने से, संवीक्षा समितियों पर जाति प्रमाणपत्रों के सत्यापन और वैधता प्रमाणपत्र जारी करने के कार्य का अत्यधिक बोझ पड़ा है। इस कारण से, ऐसे निर्वाचन में निर्वाचित पार्षदों को विनिर्दिष्ट समय सीमा में वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि निर्वाचित पार्षद, महापौर और अध्यक्ष जिन्हें संवीक्षा समिति के समक्ष उनके आवेदनों के लंबित रहने के कारण वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, वे एक विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करने से अनर्ह घोषित नहीं होंगे। इसलिए, सुसंगत नगर पालिका विधियों की उपरोक्त धाराओं में यथोचित संशोधन द्वारा ऐसे निर्वाचनों में पार्षद, महापौर और अध्यक्ष द्वारा वैधता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए छह महीने की अधिकतर अवधि देना इष्टकर समझा गया है।

४. चूंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, मुंबई नगर निगम अधिनियम, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्यः कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था; अतः महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा, महाराष्ट्र नगर निगम विधि (संशोधन) अध्यादेश, २०२६ (सन् २०२६ का महा. अध्या. क्र. ९) १७ जून २०२६ को प्रख्यापित किया गया था।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना है।

मुंबई,
दिनांक २२ जून, २०२६.

एकनाथ शिंदे,
उप-मुख्यमंत्री,
(नगर विकास)।

(यथार्थ अनुवाद),

श्री. अरुण कमळाबाई वाळू गिते,

भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांक २५ जून, २०२६.

जितेंद्र भोळे,
सचिव-१,
महाराष्ट्र विधानसभा।